13

बिहार सरकार,
गन्ना उद्योग विभाग

पत्रांक–02/रेगु०–02–7013/2024– 05 ईख/०० पटना, दिनांक– 08 अप्रैल, 2025

प्रेषक,

ईखायुक्त,
बिहार।

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

विषय : **माननीय मुख्यमंत्री, बिहार द्वारा प्रगति यात्रा में की गई घोषणा के आलोक में राज्य में गन्ना कृषकों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने हेतु पेराई सत्र 2024–25 से पूर्व से निर्धारित ईख मूल्य के दर में 10.00 (दस) रू० प्रति क्विंटल की दर से बढ़ोतरी किये जाने की स्वीकृति एवं वृद्धि के पश्चात् अन्तर राशि अनुमानित 70.00 (सत्तर) करोड़ रू० का एवं प्रतिवर्ष अनुमान के आधार पर वहन राज्य सरकार द्वारा किये जाने की स्वीकृति के अधीन वित्तीय वर्ष 2024–25 में स्वीकृत मो० 43,01,58,914.00 (तैंतालीस करोड़ एक लाख अनठावन हजार नौ सौ चौदह) रू० के क्रम में वित्तीय वर्ष 2025–26 में बजट उपबंध अन्तर्गत अवशेष राशि मो० 20,15,84,564.00 (बीस करोड़ पन्द्रह लाख चौरासी हजार पाँच सौ चौंसठ) रू० व्यय एवं अग्रिम निकासी की स्वीकृति।**

द्वारा : आंतरिक वित्तीय सलाहकार।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक माननीय मुख्यमंत्री, बिहार द्वारा प्रगति यात्रा में की गई घोषणा के आलोक में राज्य में गन्ना कृषकों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने हेतु पेराई सत्र 2024–25 से पूर्व से निर्धारित ईख मूल्य के दर में 10.00 (दस) रू० प्रति क्विंटल की दर से बढ़ोतरी किये जाने की स्वीकृति एवं वृद्धि के पश्चात् अन्तर राशि अनुमानित 70.00 (सत्तर) करोड़ रू० का एवं प्रतिवर्ष अनुमान के आधार पर वहन राज्य सरकार द्वारा किये जाने की स्वीकृति के अधीन वित्तीय वर्ष 2024–25 में स्वीकृत मो० 43,01,58,914.00 (तैंतालीस करोड़ एक लाख अनठावन हजार नौ सौ चौदह) रू० के क्रम में वित्तीय वर्ष 2025–26 में बजट उपबंध अन्तर्गत अवशेष राशि मो० 20,15,84,564.00 (बीस करोड़ पन्द्रह लाख चौरासी हजार पाँच सौ चौंसठ) रू० व्यय एवं अग्रिम निकासी की स्वीकृति दी जाती है।

2. विभागीय संकल्प संख्या–42 दिनांक–13.01.2025 के क्रम में माननीय मुख्यमंत्री, बिहार द्वारा प्रगति यात्रा में की गई घोषणा के आलोक में राज्य में गन्ना कृषकों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने हेतु पेराई सत्र 2024–25 से पूर्व से निर्धारित ईख मूल्य के दर में 10.00 (दस) रू० प्रति क्विंटल की दर से बढ़ोतरी किये जाने की स्वीकृति एवं वृद्धि के पश्चात् अन्तर राशि अनुमानित 70.00 (सत्तर) करोड़ रू० का एवं प्रतिवर्ष अनुमान के आधार पर वहन राज्य सरकार द्वारा किये जाने की स्वीकृति दी गयी है। इसके अधीन वित्तीय वर्ष 2024–25 में उपलब्ध बजट उपबंध अन्तर्गत मो० 43,01,58,914.00 (तैंतालीस करोड़ एक लाख अनठावन हजार नौ सौ चौदह) रू० व्यय की स्वीकृति दी गयी थी।

पेराई सत्र 2024–25 अन्तर्गत चीनी मिलों द्वारा राज्य के गन्ना कृषकों से कुल 6,31,74,347.82 क्विंटल गन्ना का क्रय किया गया है। 10.00 (दस) रू० प्रति क्विंटल की दर से ईख मूल्य भुगतान हेतु कुल मो० 63,17,43,478.00 (तिरसठ करोड़ सतरह लाख तैंतालीस हजार चार सौ अठहत्तर) रू० गन्ना कृषकों को भुगतान किया जाना है।

3. गन्ना कृषकों को ईख मूल्य का भुगतान हेतु CFMS 2.0 के माध्यम से पेयी आईडी बनाने में हो रही कठिनाई के संबंध में वित्त विभाग, बिहार, पटना द्वारा पत्रांक–2168, दिनांक–27.02.2025 के माध्यम से अन्य विकल्पों पर विचार करने हेतु परामर्श दिया गया है। तद्नुसार गत् वर्ष की भाँति वर्तमान वर्ष में भी अग्रिम निकासी की स्वीकृति दी जाती है। वित्त विभाग के पत्रांक–2561 (वि०) 2 दिनांक–17.04.1998 के आलोक में अग्रिम निकासी के प्रस्ताव पर विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

4. माननीय मुख्यमंत्री, बिहार द्वारा प्रगति यात्रा में की गई घोषणा के आलोक में ईख मूल्य के दर में 10.00 (दस) रू० प्रति क्विंटल की दर से बढ़ोतरी के पश्चात् राशि के वितरण हेतु विभाग द्वारा मार्गदर्शिका निर्गत किया गया है। राशि की वितरण विभागीय पत्रांक–94/ई०का० दिनांक–22.01.2025 द्वारा निर्गत मार्गदर्शिका के अनुरूप सुनिश्चित किया जायेगा।

कृ०पृ०उ०

12

5. पेराई सत्र 2024–25 में चीनी मिलो द्वारा क्रय किये गये गन्ने की मात्रा पर 10.00 रू०/क्विंटल की दर से अवशेष भुगतेय राशि मो० 20,15,84,564.00 (बीस करोड़ पन्द्रह लाख चौरासी हजार पाँच सौ चौंसठ) रूपये मात्र का भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2025–26 में मुख्य शीर्ष–2852–उद्योग, उपमुख्य शीर्ष–08–उपभोक्ता उद्योग, समूहशीर्ष–राज्य योजना, लघुशीर्ष–201–चीनी, उपशीर्ष–0103, विषयशीर्ष–3301–सब्सिडी, विपत्र कोड–45–2852082010103 अंतर्गत वर्तमान में कुल उपबंधित राशि मो० 7897.85 लाख रू० में से विकलनीय होगा।

6. कुल स्वीकृत राशि मो० 20,15,84,564.00 (बीस करोड़ पन्द्रह लाख चौरासी हजार पाँच सौ चौंसठ) रूपये के अधीन **अनुसूची–1** में आवंटित राशि के अन्तर्गत ही संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के द्वारा राशि की निकासी संबंधित कोषागार से की जायेगी।

7. निकासी की गई अग्रिम राशि को संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के कार्यालय बैंक खाता के माध्यम से किसानों के उसी बैंक खाता में राशि अंतरित की जायेगी जिस बैंक खाता में चीनी मिल के द्वारा ईख मूल्य का भुगतान किया गया है। चीनी मिल के द्वारा किसानों की सूची, उनसे क्रय किये गये गन्ना की मात्रा, किसानों का बैंक खाता संख्या, आई.एफ. एस.सी. कोड इत्यादि जिसमें चीनी मिल के द्वारा किसान को ईख मूल्य भुगतान किया गया है, संबंधित सूचना ईख पदाधिकारी को उपलब्ध कराया जायेगा। इसके लिए विभाग द्वारा पूर्व में भी प्रपत्र एवं समयसीमा निर्धारित है। किसानों के संबंध में दी गयी सूचना एवं उनको भुगतान किये जा रही राशि का विवरण चीनी मिल से प्राप्त सूचना पर आधारित है। अतएव इस संबंध में किसी प्रकार की अनियमितता होने पर संबंधित चीनी मिल के दखलकार जिम्मेवार होंगे।

8. भुगतान के पश्चात् भुगतान किये गये प्रमाण के साथ किसानों की सूची डी०सी० विपत्र के रूप में यथाशीघ्र समर्पित किया जाएगा। साथ ही जिस मद के विरूद्ध अग्रिम निकासी की जाएगी, उसी मद अंतर्गत व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। किसी भी परिस्थिति में अग्रिम के रूप में निकासी की गई राशि का उपयोग किसी दूसरे कार्य के लिए नहीं किया जाएगा।

9. उक्त विषयक प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् का दिनांक–10.01.2025 को संचिका संख्या–02/रेगु०–02–7013/2024 के पृष्ठ–14/टि० पर स्वीकृति प्राप्त है। तद्आलोक में विभागीय संकल्प संख्या–42 दिनांक–13.01.2025 निर्गत है। यह राशि वित्त विभाग के पत्रांक–12888 दिनांक–03.12.2024 के आलोक में स्वीकृत की जा रही है।

10. उक्त राज्यादेश के प्रस्ताव/प्रारूप पर संचिका सं०–02/रेगु०–02–7013/2024 के पृष्ठ संख्या–51/टि० पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

11. उक्त योजना एवं अग्रिम निकासी के प्रस्ताव पर संचिका सं०–02/रेगु०–02–7013/2024 के पृष्ठ संख्या–52/टि० पर विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

12. वित्त विभाग के पत्रांक–2561 (वि०) 2 दिनांक–17.04.1998 के आलोक में की जायेगी तथा प्रपत्र में निहित अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

13. वित्त विभागीय पत्रांक–7355/वि० (2) दिनांक–05.10.2007 के आलोक में प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

14. इस राशि का आवंटन आदेश अलग से निर्गत किया जायेगा।

विश्वासभाजन

08.04.25

ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञाप संख्या–02/रेगु०–02–7013/2024– 05 ईखा०/cc पटना, दिनांक– 08 अप्रैल, 2025

प्रतिलिपि–कोषागार पदाधिकारी, समस्तीपुर/गोपालगंज/बेतिया (प० चम्पारण)/मोतिहारी (पूर्वी चम्पारण)/मुजफ्फरपुर/सीवान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

08.04.25

ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञाप संख्या–02 / रेगु०–02–7013 / 2024–05 ई०/ce पटना, दिनांक– 08 अप्रैल, 2025

प्रतिलिपि–समाहर्त्ता, समस्तीपुर / गोपालगंज / बेतिया (प० चम्पारण) / मोतिहारी (पूर्वी चम्पारण) / मुजफ्फरपुर / सीवान / सीतामढ़ी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

08.04.25

ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञाप संख्या–02 / रेगु०–02–7013 / 2024– 05 ई०/ce पटना, दिनांक– 08 अप्रैल, 2025

प्रतिलिपि– वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना / योजना एवं विकास विभाग, बिहार / उप सचिव, गन्ना उद्योग विभाग / संयुक्त निदेशक, ईख विकास / संयुक्त ईखायुक्त, बिहार, पटना / सहायक ईखायुक्त, मुख्यालय / सहायक ईखायुक्त, उ० बिहार, मुजफ्फरपुर / निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, गन्ना उद्योग विभाग / विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार / रेगुलेटरी शाखा / बजट शाखा / लेखा शाखा, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना / सभी विशेष ईख पदाधिकारी एवं ईख पदाधिकारी / प्रबंधक / महाप्रबंधक / कार्यपालक अध्यक्ष, राज्य की सभी कार्यरत चीनी मिलें / अध्यासी / महाप्रबंधक, प्रतापपुर (उ० प्रदेश) चीनी मिल / महाप्रबंधक, सेवरही (उ० प्रदेश) चीनी मिल / सचिव, बिहार सुगर मिल्स एसोसियेशन (BSMA), पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. आई० टी० प्रबंधक, गन्ना उद्योग विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

08.04.25

ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञाप संख्या–02 / रेगु०–02–7013 / 2024– 05 ई०/ce पटना, दिनांक– 08 अप्रैल, 2025

प्रतिलिपि–माननीय मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग के आप्त सचिव / सचिव, गन्ना उद्योग विभाग के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

08.04.25

ईखायुक्त, बिहार।

अनुसूची–1

पेराई सत्र 2024–25 अन्तर्गत राज्य के गन्ना कृषकों को 10 रू०/क्विंटल की दर से ईख मूल्य भुगतान से संबंधित विवरणी

क्र०	चीनी मिल का नाम	मिल आरम्भ होने की तिथि से बंद होने की तिथि तक चीनी मिलों द्वारा राज्य के गन्ना कृषकों से कुल खरीद की गयी ईख की मात्रा (क्विंटल में)	10 रू०/ क्विंटल की दर से कुल भुगतेय ईख मूल्य (रू० मे)	भुगतान हेतु अबतक कुल प्राप्त आवंटन (रू० मे)	शेष भुगतान हेतु आवंटन की आवश्यकता (रू० मे)
1	2	3	4	5	6
1.	तिरूपति सुगर्स लि०, बगहा, प० चम्पारण	9372419.25	93724192.50	69629397.00	24094795.50
2.	हरिनगर सुगर मिल लि०, हरिनगर, प० चम्पारण।	13565324.55	135653245.50	97840343.00	37812902.50
3.	न्यू स्वदेशी सुगर मिल, नरकटियागंज, प० चम्पारण।	10182039.90	101820399.00	65844880.00	35975519.00
4.	मझौलिया सुगर इण्डस्ट्रीज, मंझौलिया, प० चम्पारण।	5434791.85	54347918.50	40267558.00	14080360.50
5.	एच॰पी॰सी॰एल॰ बायोफ्यूल्स लि०, लौरिया, प० चम्पारण।	3434057.95	34340579.50	23895160.00	10445419.50
6.	विष्णु सुगर्स मिल्स लि०, गोपालगंज	4377475.68	43774756.80	25622878.00	18151878.80
7.	मगध सुगर एण्ड एनर्जी लि०, इकाई–भारत सुगर मिल्स, सिधवलिया, गोपालगंज	5296399.00	52963990.00	35795769.00	17168221.00
8.	रीगा सुगर कम्पनी लि०, रीगा, सीतामढ़ी	749216.83	7492168.30	2859384.00	4632784.30
9.	मगध सुगर एण्ड एनर्जी लि०, इकाई–हसनपुर सुगर मिल्स, हसनपुर, समस्तीपुर	6074000.00	60740000.00	41843033.00	18896967.00
10.	एच॰पी॰सी॰एल॰ बायोफ्यूल्स लि०, सुगौली, पूर्वी चम्पारण	3919826.77	39198267.70	24613668.00	14584599.70
11.	बजाज हिन्दुस्तान लि०, प्रतापपुर, उत्तर प्रदेश	594870.04	5948700.40	794707.00	5153993.40
12.	सेवरही चीनी मिल, उ० प्रदेश	173926.00	1739260.00	1152137.00	587123.00
		6,31,74,347.82	**63,17,43,478.20** (तिरसठ करोड़ सतरह लाख तैंतालीस हजार चार सौ अठहत्तर रूपये बीस पैसे) रू०	**43,01,58,914.00** (तैंतालीस करोड़ एक लाख अनठावन हजार नौ सौ चौदह:) रू०	**20,15,84,564.20** (बीस करोड़ पन्द्रह लाख चौरासी हजार पाँच सौ चौंसठ रूपये बीस पैसे) रू०

08.04.25

ईखायुक्त, बिहार।